UPSN010007512026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण)अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थित :– (डॉ० अमित वर्मा) जे.ओ. कोड–यू.पी.2412

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–238/2026

आनन्द सिंह उर्फ अनुज उम्र त० 25 साल पुत्र रंजेश कुमार सिंह, निवासी नारेपार पैगहा थाना कोईरौना, जिला भदोही।

......प्रार्थी/ अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

......अभियोजन

मु०अ०सं०–228/2025
धारा–305(a),331(4),317(2) बी.एन.एस
थाना-कोइरौना, जिला-भदोही ।

दिनांक 17.03.2026

1. नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त आनन्द सिंह उर्फ अनुज उम्र त० 25 साल पुत्र रंजेश कुमार सिंह, निवासी नारेपार पैगहा थाना कोईरौना, जिला भदोही, के नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित मु०अ०सं०–228/2025,धारा–305(a),331(4),317(2)बी०एन०एस०,थाना–कोइरौना,जनपद भदोही, पर सुना गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उपरोक्त अपराध संख्या में प्रार्थी को झूठे तौर पर फसाया गया है प्रार्थी निर्दोष है और किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नही किया है। यह कि प्रार्थी द्वारा दिया जा रहा यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है। यह कि प्रार्थी की तरफ से अधीनस्थ न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया था जो सरसरी तौर पर खारिज फरमाया गया जिसकी सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थी को उपरोक्त अपराध संख्या में प्रार्थी के दुश्मनान की साजिश में होकर पुलिस ने बसाजिश वादी झूठे तौर पर झूठी कार्यवाही करके अभियुक्त करार दिया। यह कि प्रार्थी ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नही किया है। यह कि उपरोक्त अपराध संख्या 228 सन् 2025 में प्रार्थी नामजद अभियुक्त नही है अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है। यह कि प्रार्थी के दुश्मनान की साजिश में होकर पुलिस थाना कोईरौना ने पूछताछ के लिये प्रार्थी के घर से बुलाकर ले गयी और थाने में बैठ झूठी व फर्जी कहानी बनाकर झूठी व फर्जी फर्द बरामदगी तैयार करके प्रार्थी का चालान किया है, यह कि प्रार्थी ने वादी के यहाँ से कोई बैटरा, इनवर्टर, कैमरा, सोलर पैनल, लैपटाप की चोरी नही किया न अपराध संख्या 167 सन् 2025 के वादी के यहाँ से कोई बैटरी, इनवर्टर, हेलमेट, डिनर सेट, प्रेस मशीन

अपाचे वेलकम, राइडर वेलकम, एसेसरीज, स्मार्ट वाच, इयर बर्ड, नेक बैंड, पावर बैंक आदि की चोरी नही किया, न प्रार्थी अपराध संख्या 167 सन् 2025 में नामित अभियुक्त है। यह कि प्रार्थी सहअभियुक्त सूरज तिवारी उर्फ बाबा के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार नही किया गया न तो प्रार्थी सह–अभियुक्त सूरज तिवारी उर्फ बाबा के साथ वादी मुकदमा के यहाँ से कोई सामान चोरी किया, यह कि प्रार्थी के घर से या प्रार्थी की निशानदेही पर कोई भी चोरी का सामान बैटरी, सिलिंग फैन, हेलमेट, इनवर्टर, सोलर पैनल, बैग, सी.एफ.एल बल्ब, राउटर बरामद नहीं हुआ। यह कि मोटरसाइकिल यू०पी० 66 K 2177 प्रार्थी के बड़े पिता के नाम से रजिस्टर्ड है उसे पुलिस प्रार्थी के घर से उठाकर ले गयी गलत तौर पर फर्द में जिक्र किया है हरगिज प्रार्थी उक्त मोटर साइकिल से चोरी नहीं करता है। यह कि न प्रार्थी के यहाँ से कोई चोरी का समान बरामद हुआ न प्रार्थी के घर पर कोई फर्द तैयार की गयी न वहाँ वादी मुकदमा मौजद था न उससे कोई पहचान करायी गयी न कोई स्वतंत्र साक्षी रखे गये है झूठी व फर्जी फर्द बरामदगी तैयार करके प्रार्थी का चालान किया गया है। यह कि प्रार्थी ज्ञानपुर कारागार में दिनांक 30.01.2026 से बंद है। यह कि प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह कि प्रार्थी निर्दोष है प्रार्थी किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है। यह कि प्रार्थी अपनी जमानत मुचलका देने के लिये तैयार है जमानत मुचलका पर रिहा होने पर जमानत मुचलका का कोई दुरूपयोग नही करेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को उचित जमानत मुचलका पर रिहा किया जाने की आज्ञा प्रदान करे ताकि न्याय हो।

3. अभियोजन कथानक अनुसार प्रार्थी अतुल कुमार पुत्र रमाकान्त निवासी ग्राम भेलसी थाना हंडिया जनपद प्रयागराज का है। प्रार्थी कोईरौना थाना क्षेत्र के नारेपार पैगहा (सितामढ़ी) धनतुलसी जंगीगंज मॉर्ग पर I.D. TC कम्प्यूटर सेन्टर चलाता है। दिनांक 23/12/2025 को सेन्टर दोपहर 12 बजे के आस पास बन्द करके अपने घर चल गया आज सुबह 7 बजे के आस पास सेन्टर पर आया तो देखा कि दो बैटरा, दो इनवटर, DVR, दो पैनल (सोलर) चार लेपटाप किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। उपरोक्त सूचनानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बंधित थाने में अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुई। विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया।

4. विद्वान् ए.डी.जी.सी. (फौजदारी) भदोही के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से चोरी का माल बरामद हुआ है, अभियुक्त सह अभियुक्त के साथ तथाकथित चोरी की घटना में संलिप्त रहा है। जमानत पर छूटने पर पुनः इसी प्रकार के अपराध में संलिप्त हो जायेगा और जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत के आधार पर्याप्त न होने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान् ए.डी.जी.सी. (फौजदारी) भदोही के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है वादी मुकदमा द्वारा यह कथन करते हुए अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि अज्ञात चोरो द्वारा उसके कंप्यूटर सेंटर से दो बैटरा, दो इनवटर, DVR, दो पैनल (सोलर) चार लेपटाप चोरी कर लिया गया है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। प्रार्थी /अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है की प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, रंजिशन

फसाया गया है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, कथित चोरी का अथवा फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र या पब्लिक साक्षी नहीं है। उपरोक्त धारायें मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है । अतः उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण दोष पर विचार व्यक्त करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त हैं, तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त आनन्द सिंह उर्फ अनुज पुत्र रंजेश कुमार सिंह, निवासी नारेपार पैगहा थाना कोईरौना, जिला भदोही, का जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित मु०अ०सं०-228/2025, धारा-305(a), 331(4), 317 (2) बी०एन०एस०, थाना-कोइरौना, जनपद भदोही, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को 25,000/- रूपये की दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाये।

1. प्रार्थी/अभियुक्त बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जायेगा और अपने निवास को परिवर्तित नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा और विचारण में सहयोग करेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पर जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है, अतः कार्यालय आदेश की प्रति जेल अधीक्षक जिला कारगर, ज्ञानपुर भदोही को जरिये ई-मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करे कि आदेश का इन्द्राज e-prison software पर करें और यदि सात दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करे। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना संबंधित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है, को अविलम्ब प्रेषित करें। जमानत आदेश की प्रति मूल पत्रावली /रिमाण्ड शीट पर रखी जाए।

दिनांक 17.03.2026

(डॉ० अमित वर्मा)
आई. डी.-यू.पी.2412
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट
भदोही-ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.03.31 15:19:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court